

# ACCOUNTING AND FINANCE

## Second Paper [(A) Taxation]

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 100

### Part - A (भाग-अ)

1. Write the name of any four items of goods which have been declared of special importance under the Central Sales Tax Act.  
ऐसी किन्हीं चार वस्तुओं के नाम लिखिए जिनको केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत विशेष महत्त्व की वस्तु घोषित किया गया है?
2. State the time limit for submitting an application in case of compulsory registration (under CST Act). अनिवार्य पंजीकरण की स्थिति में आवेदन देने की समय सीमा बताइये। (केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत)
3. Mention the dates for filling the return of sales regarding inter-state sales for such dealer who is not liable for payment of tax under the provisions of Sales Tax Act of a State.  
अन्तर्राज्यीय बिक्री के सम्बन्ध में ऐसे व्यापारी के लिए विक्रय की विवरणी दाखिल किये जाने की तिथियों को बताइये जो राज्य विक्रय कर विधान के अन्तर्गत के लिए उत्तरदायी नहीं है।
4. What is the time limit for submission of annual return in Form VAT-10A and return in Form VAT-11? प्रपत्र संख्या VAT-10A एवं VAT-11 में वार्षिकी विवरणी तथा विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है?
5. Who are the Administrative authorities under the Rajasthan Value Added Tax, 2003? राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी कौन-से हैं?
6. When can the goods be confiscated under the Customs Act? State any two reasons. सीमा-शुल्क अधिनियम के तहत माल की जब्ती कब की जा सकती है? कोई दो कारण लिखिए।
7. From which date Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 2007 was made applicable? सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियम, 2007 किस तिथि से लागू किये गये थे?
8. What kinds of persons are liable under the Wealth Tax Act?  
धन कर अधिनियम के तहत किस प्रकार के व्यक्ति दायी होते हैं?
9. Write names of any four Wealth Tax Authorities.  
किन्हीं चार धनकर पदाधिकारियों के नाम लिखिए।
10. What is the time limit available to an assessee for the payment of wealth tax after the receipt of demand notice under section 30?  
एक करदाता के धारा 30 के अन्तर्गत माँ के नोटिस की प्राप्ति के बाद कितनी अवधि में धनकर जमा कराना पड़ता है?

### Part-B (भाग-ब)

11. What is the fee of registration of dealer under CST Act? How is it

- paid? केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत एक व्यापारी के पंजीकरण की फीस कितनी है? इसका भुगतान किस प्रकार किया जाता है?
12. State the provisions regarding payment of tax in instalments under Rajasthan VAT Act. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के किशतों में भुगतान सम्बन्धी प्रावधानों को बताइये।
13. Who can file an appeal to the Commissioner of Customs (Appeals)? What is the time limit for filling such an appeal?  
सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) को अपील कौन कर सकता है? ऐसी अपील प्रस्तुत करने की समयावधि क्या है?
14. When is a residential house not treated as an asset?  
एक रिहायशी मकान को कब सम्पत्ति नहीं माना जाता है?
15. What do you understand by converted property?  
परिवर्तित सम्पत्ति से आप क्या समझते हैं?

**Part-C (भाग-स)**

16. Shri Mohit, the proprietor of Mohit Enterprises is a registered dealer of PALI (Rajasthan). He sells goods both inside the state and in the course of Inter-State Trade or Commerce. From the following particulars relating to the quarter ending on 30<sup>th</sup> September, 2011, Find out his taxable turnover and the tax payable under the Central Sales Tax Act giving explanatory notes wherever necessary :
- (i) Goods worth Rs. 30,600 (being declared goods) sold to a registered dealer of Punjab. The rate of tax on such goods in the state is 5%.
- (ii) Goods worth Rs. 36,000 was purchased from Himachal Pradesh but while the goods was in transit, it was sold to a registered dealer of Delhi by transferring the title deeds of goods for Rs. 40,100.
- (iii) Goods worth Rs. 22,000 was transferred to their branch at Calcutta.
- (iv) Goods worth Rs. 35,700 was sold to the Government of Bihar. Out of this Bihar Government returned goods worth Rs. 9,450 within two months from the date of sale. It has been effected in the books of accounts. The rate of tax on such goods in the state is 5%.
- (v) Goods worth Rs. 15,750 (being declared goods) is sold to an unregistered dealer of U.P. Such goods is taxable in the Appropriate State @ 5%.
- (vi) Goods amounting to Rs. 50,500 was sold to an unregistered dealer of Gujarat state for the use in manufacturing process in an industrial undertaking located in a special economic zone. The rate of tax in respect of such goods in the Appropriate State is @ 1%.
- (vii) Goods amounting to Rs. 31,000 was sold to a firm of London in the course of export outside India.
- (viii) Goods amounting to Rs. 15,150 was sold to a registered dealer of Delhi. general, such goods is taxable in the Appropriate State @ 1%.
- (ix) Goods worth Rs. 37,400 taxable @ 14% was sold to a

registered dealer of Ajmer (Rajasthan).

- (x) Goods worth Rs. 22,000 was invoiced to their agent at Aligarh (U.P.) but while the goods was in transit, it was sold to an unregistered dealer of Agra (U.P.) for Rs. 23,940. The rate of tax in respect of such goods in the Appropriate State is 14%.

Sale to a representative of foreign diplomatic mission in Ajmer of undeclared goods Rs. 30,600. The rate of tax in state is 5%.

The above selling price include Central Sales Tax. The dealer has submitted all necessary certificates and declarations.

श्री मोहित, जो मोहित इण्टरप्राइजेज के स्वामी हैं, पाली (राजस्थान) में पंजीकृत व्यापारी हैं। वह राज्य तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल बेचते हैं। 30 सितम्बर, 2011 को समाप्त होने वाली तिमाही के सम्बन्धित सूचनाओं के आधार पर आप उनकी केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य बिक्री देय बिक्रीकर ज्ञात कीजिए। जहाँ आवश्यक हो व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दीजिए।

- (i) पंजाब के एक पंजीकृत व्यापारी को 30,600 रु. के माल (जो घोषित माल है) की बिक्री। उपयुक्त राज्य में इस माल पर कर की दर 5 प्रतिशत है।
- (ii) 36,000 रु. के मूल्य का माल हिमाचल प्रदेश से खरीदा, किन्तु माल के मार्ग में होने के दौरान ही इसे दिल्ली के एक पंजीकृत व्यापारी को स्वत्वाधिकार प्रपत्रों के हस्तान्तरण द्वारा 40,100 रु. में बेचा।
- (iii) 22,000 रु. के मूल्य का माल उनकी कलकत्ता शाखा को स्थानान्तरित किया।
- (iv) 35,700 रु. के मूल्य का माल बिहार सरकार को बेचा। इसमें से बिहार सरकार ने 9,450 रु. का माल विक्रय की तिथि के 2 माह में लौटा दिया एवं इसका लेखा पुस्तकों में कर दिया गया। राज्य में यह माल 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
- (v) 15,750 रु. का माल (जो घोषित माल है) उत्तर प्रदेश राज्य के अपंजीकृत व्यापारी को बेचा। 'उपयुक्त राज्य' में यह माल 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है।
- (vi) 50,500 रु. का माल गुजरात राज्य के एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाई के निर्माण कार्य में प्रयोग करने के लिए एक अपंजीकृत व्यापारी को बेचा। 'उपयुक्त राज्य' में इस माल के सम्बन्ध में विक्रय कर की दर 1 प्रतिशत है।
- (vii) 31,000 रु. का माल निर्यात व्यापार के दौरान लन्दन की एक फर्म को बेचा।
- (viii) 15,150 रु. का माल, दिल्ली के एक पंजीकृत व्यापारी को बेचा। सामान्यतया ऐसा माल 'उपयुक्त राज्य' में 1 प्रतिशत की दर से करयोग्य है।
- (ix) 37,400 रु. का माल, जो 14 प्रतिशत की दर से करयोग्य है, अजमेर (राजस्थान) के एक पंजीकृत व्यापारी को बेचा।
- (x) 22,000 रु. का माल अपने अलीगढ़ (उ. प्र.) के प्रतिनिधि को भेजा, किन्तु माल के मार्ग में होने के दौरान ही इस माल को आगरा (उ.प्र.) के

एक अपंजीकृत व्यापारी को 23,040 रु. में बेचा। 'उपर्युक्त राज्य' में इस माल पर बिक्रीकर की दर 14 प्रतिशत है।

(xi) अजमेर में विदेशी कूटनीतिक मिशन के प्रतिनिधि को अघोषित माल का विक्रय 30,600 रु.। राज्य में कर की दर 5 प्रतिशत है।

उपर्युक्त विक्रय मूल्यों में केंद्रीय विक्रय कर सम्मिलित है। व्यापारी ने सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर दिये।

**OR (अथवा)**

Describe the provisions of Central Sales Tax Act regarding collection of tax.

17. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम के कर संग्रहण सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।  
What do you mean by Assessment? Describe in detail the procedure of assessment under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

कर-निर्धारण से आप क्या समझते हैं? राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत कर निर्धारण की विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए।

**OR (अथवा)**

A company makes an unauthorised import of 2,000 pieces of a product CIF priced at \$ 2 per piece by air from U.S.A. The consignment is liable to be confiscated. Import is adjudicated. Assistant Commissioner gives to the company an option to pay a fine in lieu of confiscation. It is proposed to impose fine equal to 50% of margin of profit. The market price is Rs. 200 per piece. The rates of duty are :  
Basic customs duty 20%

Additional customs duty U/s 3(1) CVD 10%

Additional customs duty U/s 3(5) Nil

Exchange rate is \$ 1 = Rs. 45

Compute :

(i) Amount of fine

(ii) Total payment to be made by the company to clear the consignment What is the maximum amount of fine that can be imposed in this case? Quote the relevant section also.

एक कम्पनी ने किसी वस्तु की 2,000 इकाइयों का संयुक्त राज्य अमेरिका से वायु मार्ग से अनाधिकृत आयात किया जिसका भाड़ा एवं बीमा सहित मूल्य (CIF) \$ 2 प्रति इकाई है। यह माल जब्त किये जाने योग्य है, अतः न्यायिक निर्णय किया गया। सहायक आयुक्त ने कम्पनी को माल की जब्ती के स्थान पर जुर्माना चुकाने का विकल्प दिया है। लाभ की राशि के 50 प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। उस वस्तु की प्रति इकाई का बाजार मूल्य 200 रु. है। सीमा शुल्क की दरें निम्न प्रकार हैं:

मूल्य सीमा शुल्क 20 प्रतिशत

धारा 3(1) के तहत अतिरिक्त सीमा शुल्क 10 प्रतिशत

धारा 3(5) के तहत अतिरिक्त सीमा शुल्क Nil

विनिमय दर \$1 = 45 रु. है।

(i) जुर्माने की राशि

(ii) माल को छुड़ाने हेतु कम्पनी द्वारा इकाई जाने वाली कुल राशि

इस मामले में अधिकतम जुर्माना कितनी राशि का लगाया जा सकता है? सम्बन्धित धारा का भी उल्लेख कीजिए।

18. Explain the meaning of the term 'Assets' as used in the Wealth Tax Act. Which assets are exempt from Wealth Tax?

घनकर अधिनियम में प्रयुक्त 'सम्पत्तियाँ' शब्द का अर्थ समझाइये। कौन-सी सम्पत्तियाँ घनकर से मुक्त हैं? विवेचन कीजिए।

OR (अथवा)

Shubham is owner of a house the annual value of which is determined by the local authority is Rs. 2,50,000. It has been let out from 1st July, 2011 to Miss Saloni on a monthly rent of Rs. 18,000. From the following additional information, find out the value of this house under the provisions of Wealth Tax Act.

- (i) Taxes levied by the local authority for whole of the year amounted to Rs. 4,000. Out of it, Rs. 3,000 were paid by the tenant.
- (ii) The tenant bears the cost of repairs. The tenant incurred an expenditure of Rs. 24,000 on repairs.
- (iii) The tenant has deposited a sum of Rs. 6,00,000 which shall be refunded to him at the time of vacating the house. Interest is payable @ 9% per annum on this amount. Interest up to 31st March, 2012 amounting to Rs. 40,500 has been paid to the tenant.
- (iv) The tenant runs a taxi hire concern also. Shubham has entered into an agreement with the tenant that he shall provide free taxi travel to the extent of 800 kilometers per annum to Mr. Shubham. The normal taxi fare charge is around Rs. 5 per km. and free taxi travel to the extent of 600 kms. was used by Mr. Shubham up to 31<sup>st</sup> March, 2012.
- (v) The house has been constructed on leasehold land and the lease will expire on 20<sup>th</sup> January, 2042.
- (vi) The total area of the plot of land on which the house is constructed, is 600 square meters, but the built-up area is 100 square meters. The unbuilt area specified by the local authority in this area is 75% of the total area.
- (vii) Rs. 2,00,000 were paid to the local authority by way of cost of land at the time of taking the land on lease. The estimated value of land at present is Rs. 4,00,000. At the time of transfer of the house, the local authority has right to recover 40% of the increase in the value of land.

शुभम एक मकान का स्वामी है, जिसका स्थानीय सत्ता द्वारा निर्धारित वार्षिक मूल्य 2,50,000 रु. है। इसे 1 जुलाई, 2011 को 18,000 रु. प्रतिमाह पर सुश्री सलौनी को किराये पर उठाया गया है। निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर घनकर अधिनियम के अन्तर्गत इस मकान सम्पत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए:

- (i) सम्पूर्ण वर्ष के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा लगाये कर की राशि रु. 4,000 रु.। इसमें से 3,000 रु. किरायेदार द्वारा चुकाया गया।
- (ii) मरम्मत का दायित्व किरायेदार का है। किरायेदार ने मरम्मत पर 24,000 रु. व्यय किये।
- (iii) किरायेदार ने 6,00,000 रु. की राशि जमा कराई है, जो मकान

खाली करते समय उसे लौटा दी जायेगी। इस राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय है। 31 मार्च, 2012 तक का ब्याज 40,500 रु. किरायेदार को दे दिया गया।

- (iv) किरायेदार का टैक्सी किराये पर चलाने का संस्थान भी है। उससे यह तथा हुआ है कि वह 800 किलोमीटर प्रतिवर्ष मुफ्त टैक्सी सेवाएँ शुभव को प्रदान करेगा। अनुमानित किराया 5 रु. प्रति किलोमीटर है तथा 31 मार्च, 2012 तक 600 किलोमीटर के लिए मुक्त टैक्सी सेवाएँ प्रदान की गई हैं।
- (v) मकान पट्टे की भूमि पर बना हुआ है तथा पट्टे की अवधि 20 जनवरी, 2042 को समाप्त होगी।
- (vi) जिस भूखण्ड पर मकान बना हुआ है उसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर है परन्तु निर्मित क्षेत्र 100 वर्गमीटर है। स्थानीय सत्ता द्वारा इस क्षेत्र में अनिर्मित क्षेत्र का निर्दिष्ट प्रतिशत कुल क्षेत्र का 75 प्रतिशत है।
- (vii) भूमि को पट्टे पर लेते समय 2,00,000 रु. का भूमि के मूल्य के लिए भुगतान किया गया था। भूमि का वर्तमान अनुमानित मूल्य 4,00,000 रु. है। स्थानीय सत्ता मकान के हस्तान्तरण की दशा में भूमि के मूल्य में वृद्धि का 40 प्रतिशत भाग वसूल करने का अधिकार रखती है।